भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1864

11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

डीप टेक 'फंड ऑफ फंड्स' का प्रचालन

1864. श्री आलोक शर्माः

श्री बलभद्र माझीः

सुश्री कंगना रनौतः

श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः

श्री लुम्बाराम चौधरीः

डॉ. संजय जायसवालः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना के तहत डीप-टेक स्टार्टअप्स, विशेषकर मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर में वित्तपोषण को मजबूत करने के लिए डीप-टेक 'फंड ऑफ फंड्स' को प्रचालित किया है या इसे क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो 'फंड ऑफ फंड्स' के लिए निर्धारित कायिक निधि कितनी है और इसके उपयोग की समयसीमा क्या है;

(ग) इस फंड के माध्यम से निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र और प्रौद्योगिकी डोमेन क्या हैं; और

(घ) पूंजी के उपयोग के लिए वैकल्पिक निवेश फंडों, वित्त विकास संस्थानों और अन्य फंड प्रबंधकों की भागीदारी के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाले नवाचारों, जिनमें डीप-टेक स्टार्टअप्स भी शामिल हैं, के लिए वित्तीय सहायता को मज़बूत करना है। इस योजना में छह वर्षों की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की कायिक निधि निर्धारित की गई है और इसमें डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स को सहायता देने के प्रावधान भी शामिल हैं।

आरडीआई योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इसके बाद, योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देशों, विशेष वित्तीय नियमों की तैयारी और अनुमोदन तथा आवेदन आमंत्रण सूचनाएं जारी करने के माध्यम से कार्यान्वयन ढांचा क्रियान्वित किया गया।

इस योजना के अंतर्गत, मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) को नामांकन के आधार पर द्वितीयक स्तरीय निधि प्रबंधक (एसएलएफएम) के रूप में अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त एसएलएफएम से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक आह्वान जारी किया गया, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 थी, और वर्तमान में चयन प्रक्रिया जारी है। टीडीबी ने भी आरडीआई योजना के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों के लिए अपना पहला आवेदन आमंत्रण 4 फरवरी 2026 को जारी किया है।

प्रस्तावित डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स सहित आरडीआई योजना किसी शहर या राज्य-विशिष्ट नहीं है और देशभर में परियोजनाओं को मांग-आधारित और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण के आधार पर सहायता दी जाती है। प्रस्तावों का मूल्यांकन तकनीकी योग्यता, रणनीतिक प्रासंगिकता और संभावित आर्थिक प्रभावों के आधार पर किया जाता है।

(ख) आरडीआई योजना की समग्र कायिक निधि छह वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये है, जिसके कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स के लिए विशेष रूप से निर्धारित निधि पूर्व-निर्धारित नहीं है और इसे मांग, प्रस्तावों की गुणवत्ता और कार्यान्वयन अवधि के दौरान प्राप्त परिणामों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। निधि का उपयोग छह वर्षों की अवधि में योजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन के अनुरूप होगा।

(ग) आरडीआई योजना के अंतर्गत चिन्हित उभरते क्षेत्रों जिनमें जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई सहित ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण; क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां; कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में इसके अनुप्रयोग; जैव प्रौद्योगिकी, जैव विनिर्माण, सिंथेटिक जीव विज्ञान, भेषजी उत्पाद और चिकित्सा उपकरण; और डिजिटल कृषि सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल हैं। यह योजना रणनीतिक आवश्यकताओं, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ लोक हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी अन्य क्षेत्र या प्रौद्योगिकियों को भी सहायता देगी।

(घ) अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना के अंतर्गत पूंजी के निवेश और उपयोग के लिए वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ), विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) और अन्य पात्र निधि प्रबंधकों सहित द्वितीयक स्तर के निधि प्रबंधकों (एसएलएफएम) की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तंत्र स्थापित किया गया है।

तदनुसार, मंत्रिमंडल नोट में उल्लिखित स्वीकृतियों के अनुरूप, पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित करने हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईए) प्रकाशित की गई है। एनआईए में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति, विस्तृत पात्रता शर्तें, मूल्यांकन मानक, भारांश और चयन मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।

एनआईए के तहत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन निर्धारित क्यूसीबीएस संरचना के अनुसार किया जा रहा है। मूल्यांकन के आधार पर, कार्यकारी परिषद (ईसी) अंतिम अनुमोदन के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) को उपयुक्त एसएलएफएम की संस्तुति करेगी। यह संरचित चयन प्रणाली गहन प्रौद्योगिकी और उच्च प्रभाव वाली आर एंड डी पहलों के लिए पूंजी के संचलन और निवेश में निष्पक्षता, पारदर्शिता और आरडीआई योजना के उद्देश्यों के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करती है।
